

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र०,
लखनऊ।

सूचना अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 10 फरवरी, 2020

विषय:- उ०प्र० वेब मीडिया नीति-2016 यथा संशोधित-2020।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-269/सू०एवंज०स०वि०(सो०मी०)-16/2017, दिनांक 31.12.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016 में प्राख्यापित "उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति" में प्रादेशिक प्राथमिकताओं के समावेश हेतु निम्न यथाआवश्यक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुसार स्तम्भ "क" में अंकित वर्तमान प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ "ख" में अंकित संशोधित प्राविधान को प्रतिस्थापित किया जाता है:-

प्र०सं०	"क" वर्तमान प्राविधान	"ख" संशोधित प्राविधान
1	विज्ञापन मान्यता हेतु वेब मीडिया/पोर्टल कम से कम 03 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा।	विज्ञापन मान्यता हेतु वेब साइट कम से कम 02 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा।
1.1	ऐसे वेबसाइट्स/पोर्टल जिनके दर का निर्धारण भारत सरकार के डी०ए०वी०पी० द्वारा किया गया हो, उन्हें विभाग द्वारा सूचीबद्ध माना जाएगा।	ऐसे वेबसाइट्स जिनके दर का निर्धारण भारत सरकार के डी०ए०वी०पी० द्वारा किया गया हो, उन्हें विभाग द्वारा सूचीबद्ध माना जाएगा।
1.2	जिन वेबसाइट और पोर्टल द्वारा विज्ञापन मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में कराना अनिवार्य होगा तथा उन्हें अपने दैनिक/सावधिक वेबकास्ट तथा वेब कन्टेन्ट प्रकाशन की नियमित	सूचना विभाग में वेबसाइट्स विज्ञापन हेतु, सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे। डीएवीपी में सूचीबद्ध वेबसाइट्स भी सूचना विभाग में इसी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे।

	स्वसत्यापित जानकारी सीडी और हार्ड कापी के रूप में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को तत्काल उपलब्ध करानी होगी। यह जानकारी उपलब्ध न कराने पर विज्ञापन मान्यता/ सूचीबद्धता समाप्त कर दी जाएगी।	
1.3	समाचार पत्र/पत्रिकाओं की भाँति वेब साइटों तथा पोर्टलों को मान्यता एवं विज्ञापन प्रदान करने के बारे में निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इससे संबंधित किसी विवाद के लिये वाद क्षेत्र केवल लखनऊ ही होगा।	समाचार पत्र/पत्रिकाओं की भाँति वेब साइटों को मान्यता एवं विज्ञापन प्रदान करने के बारे में निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इससे संबंधित किसी विवाद के लिये वाद क्षेत्र केवल लखनऊ ही होगा।
2-विज्ञापन वितरण प्रक्रिया		
2.1	वेब पोर्टलों/ वेबसाइटों/ वेब एजेन्सियों की श्रेणी में विज्ञापन, मात्र विभाग में सूचीबद्ध वेब पोर्टलों/ वेबसाइटों को ही उपलब्ध कराये जायेंगे।	वेबसाइटों की श्रेणी में विज्ञापन डीएवीपी एवं विभाग में सूचीबद्ध वेबसाइटों को ही उपलब्ध कराये जायेंगे।
2.2	विज्ञापन उन वेब साइट/पोर्टल्स को दिया जाएगा जिनकी प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 2.5 लाख हिट्स होगी।	विज्ञापन उन वेबसाइट को दिया जायेगा, जिनकी प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 0.50 लाख हिट्स होगी। उक्त गणना यूनिक यूजर प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी।
2.3	हिट्स की गणना हेतु 6 महीने का औसत आधार लिया जाएगा। गणना हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य थर्ड पार्टी, जो भारत में वेबसाइट्स ट्रैफिक मानीटर करती हो, को स्वीकार किया जाएगा।	यूनिक यूजर की गणना हेतु 06 महीने का औसत आधार लिया जाएगा। वेबसाइट को वेबसाइट ऑडिटर द्वारा प्रमाणित विगत 06 माह की औसत मासिक यूजर काउंट की रिपोर्ट सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में जमा कराना होगा। सूचना विभाग वेबसाइट के यूनिक यूजर डेटा की प्रमाणिकता की जाँच अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत और विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स (गूगल एनालिटिक्स और कॉमस्कोर आदि), जिसके जरिये भारत में वेबसाइट ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता हो, के द्वारा किया जाएगा।
2.4	अंग्रेजी वेब मीडिया को भी हिन्दी वेब मीडिया की भाँति	यथावत

	विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।	
2.5	वेब मीडिया के विज्ञापन के आवेदन पत्र में उसके पंजीकरण का विवरण अंकित करते हुए उसके साथ लागू पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।	यथावत
2.6	अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित/ मुद्रित एवं सम्पादित वेब मीडिया को शासकीय विज्ञापन प्रदान नहीं किए जाएंगे।	(ए) किसी भी वेबसाइट्स पर समाचार के प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य विवाद पर पीआरबी एक्ट-1867 तथा प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के दायरे में, जो भी आता हो, उसे आईटी एक्ट (साइबर एक्ट) 2000 तथा 2008 के प्रावधानों की क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों पर पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा अनुकूल जांच प्राप्त होने के बाद ही विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। (बी) गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त तथा अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित/ मुद्रित एवं सम्पादित वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्रदान नहीं किए जाएंगे। (सी) अनैतिक, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों/ संस्थानों को शासकीय विज्ञापन प्रदान नहीं किया जाएगा।
2.7	विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु सम्बंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स (मोबाइल ब्राउजर्स सहित) से कम्पेटिबिल होना अनिवार्य होगा।	विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु सम्बंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स (मोबाइल ब्राउजर्स सहित) से कम्पेटिबिल होना अनिवार्य होगा ताकि न्यूज वेबसाइट की समाचार सामग्री सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्वीटर व्हाटसएप आदि पर भी ससमय पढ़ी जा सके।
2.8	विज्ञापन वितरण के उद्देश्य से वेब माध्यमों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। समूह 'क'- 50 लाख से	विज्ञापन वितरण के उद्देश्य से वेब माध्यमों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा। समूह 'क'- 50 लाख से अधिक समूह 'ख'- 20 लाख से अधिक

	अधिक (राष्ट्रीय वेब मीडिया) समूह 'ख'-20 लाख से 50 लाख तक (क्षेत्रीय मीडिया) समूह 'ग'-2.5 लाख से 20 लाख तक (स्थानीय मीडिया)	समूह 'ग'- 2.5 लाख से अधिक समूह 'घ'- 1.5 लाख से अधिक समूह 'ड'- 0.5 लाख से अधिक (नव सृजित श्रेणी समूह 'घ' व 'ड' के वर्गीकरण का प्रस्ताव।)
2.9	यूनिक यूजर की गणना के समय एक ही कम्पनी की अलग-अलग वेबसाइटों की बंदिग/जोड़ को अनुमति नहीं होगी।	यथावत
2.10	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के विज्ञापन प्रथम स्कॉल में मुख पृष्ठ (होम पेज) पर होना आवश्यक होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन हो सके। द्वितीय स्कॉल / मुख पृष्ठ (होम पेज) के नीचे प्रदर्शित विज्ञापनों को विज्ञापन हेतु कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।	(ए) सूचना विभाग के विज्ञापन (स्क्रिप्ट स्ट्रिप या आडिया/वीडियो) प्रथम स्कॉल में मुख पृष्ठ (होम पेज) पर लीडर बोर्ड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के पेज, जिस पर उत्तर प्रदेश से सम्बंधित खबरें होती हैं, उस पेज के लीडर बोर्ड में भी एक साथ प्रकाशित करना होगा। (बी) होम पेज तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम पेज के अलावा निदेशक, सूचना किसी भी वेबसाइट्स के उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रासंगिक स्थान पर विज्ञापन के प्रकाशन के आदेश निर्गत करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा असामान्य पाठ्य सामग्री एवं गतिविधि (Unusual content and unusual activity) के अनुश्रवण के आधार पर किसी भी वेबसाइट को विज्ञापन न देने का अधिकार सूचना निदेशक को होगा।
2.11	टेण्डर की माप निर्धारित करने के लिये वेब माध्यमों के प्रिन्टर पर निकाले जा सकने योग्य ए-4 साइज के एक रंगीन पृष्ठ को जिसमें हिन्दी में 10 तथा अंग्रेजी में 8 प्वाइंट का फॉण्ट इस्तेमाल किया गया हो, एक पेज माना जायेगा और टेण्डर में शब्दों की संख्या गिनकर उसका 0.10 से गुणा करके माप निकाली जायेगी। यह गणना सभी भाषाओं के लिए	समाप्त

	समान रहेगी।																												
2.12	वेब मीडिया में विज्ञापन अधिकतम एक वेब पृष्ठ प्रति वेबसाइट का ही दिया जायेगा।	समाप्त																											
2.13	वेब मीडिया विज्ञापन के भुगतान विभाग द्वारा जारी किये गये मूल कार्यादेश (आर0ओ0) के आधार पर ही किया जाएगा। मूल कार्यादेश खो जाने की स्थिति में शुल्क रु0 100.00 विभागीय कोषागार में जमा करने के उपरान्त ही कार्यादेश की दूसरी प्रति विभाग द्वारा जारी की जायेगी।	यथावत																											
2.14	विज्ञापन दरों का निर्धारण: वेब मीडिया को सम्यक विचारोपरांत नियमानुसार दरें प्रदान की जायेगी। जिन वेब मीडिया की विज्ञापन दर, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) द्वारा निर्धारित हैं, उन्हें विभाग द्वारा भी वही दर दी जायेगी किन्तु जिन वेब माध्यमों की डी. ए.वी.पी. दर निर्धारित नहीं है उन्हें इस वेब नीति के संगत प्राविधानों के अनुसार विभागीय दर से भुगतान किया जायेगा। जो उन पर लागू न्यूनतम दर तथा उनकी सशुल्क ग्राहकी/ हिट्स के आधार पर निर्धारित श्रेणी के आधार पर देय होगी।	यथावत																											
2.15	<p>पैनल में सम्मिलित वेबसाइटों हेतु प्रस्तावित दरें "X" प्रदर्शित करता है कि कुछ बैनर आकारों हेतु दरों का निर्धारण नहीं किया गया है।)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">समूह-क</th> </tr> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>बैनर का आकार</th> <th>-</th> <th>सीपीटीआई आधार पर दर (रुपये में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>728x</td> <td>उर्ध्व</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	समूह-क				क्र. सं.	बैनर का आकार	-	सीपीटीआई आधार पर दर (रुपये में)	1	728x	उर्ध्व	90	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">समूह-क</th> </tr> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>बैनर का आकार</th> <th>सीपीटीआई आधार पर दर (रुपये में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>300X250 पिक्सल (pixels)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>728x90 पिक्सल (pixels)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>वीडियो ऐड्स /5 सेक (Video ads/ 5</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	समूह-क			क्र. सं.	बैनर का आकार	सीपीटीआई आधार पर दर (रुपये में)	1	300X250 पिक्सल (pixels)	45	2	728x90 पिक्सल (pixels)	55	3	वीडियो ऐड्स /5 सेक (Video ads/ 5	50
समूह-क																													
क्र. सं.	बैनर का आकार	-	सीपीटीआई आधार पर दर (रुपये में)																										
1	728x	उर्ध्व	90																										
समूह-क																													
क्र. सं.	बैनर का आकार	सीपीटीआई आधार पर दर (रुपये में)																											
1	300X250 पिक्सल (pixels)	45																											
2	728x90 पिक्सल (pixels)	55																											
3	वीडियो ऐड्स /5 सेक (Video ads/ 5	50																											

	90	भाग	
		अधो भाग	x
		पार्श्व भाग	x
2	300x 250	उर्ध्व भाग	x
		अधो भाग	x
		पार्श्व भाग	120
समूह-ख			
क्र. सं.	बैनर का आकार	-	सीपीटी आई आधार पर दर (रुपये में)
1	728x 90	उर्ध्व भाग	110
		अधो भाग	30
		पार्श्व भाग	x
2	468x 60	उर्ध्व भाग	35
		अधो भाग	x
		पार्श्व भाग	x
3	300x 250	उर्ध्व भाग	44
		अधो भाग	35
		पार्श्व भाग	x
समूह-ग			
क्र. सं.	बैनर का आकार	-	सीपीटीआई आधार पर दर (रुपये में)
1	728 x90	उर्ध्व भाग	23
		अधो भाग	15
		पार्श्व भाग	23
		Sec)	
4	फिक्स्ड स्लॉट अपराह्न 6 बजे से 12 मध्य रात्रि (Fixed Slot 6 pm to 12 midnight)		35000
5	फिक्स्ड स्लॉट मध्य रात्रि 12 बजे से पूर्वाह्न 6 बजे तक (Fixed Slot 12 midnight to 6 am)		50000
6	फिक्स्ड स्लॉट पूर्वाह्न 6 बजे मध्याह्न 12 बजे तक (Fixed Slot 6 am to 12 noon)		100000
7	फिक्स्ड स्लॉट मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 6 बजे तक (Fixed Slot 12 noon to 6 pm)		100000
8	फिक्स्ड बैनर 24 घण्टे (Fixed Banner 24 hour)		150000
समूह-ख			
क्र. सं.	बैनर का आकार	-	सीपीटीआई आधार पर दर (रुपये में)
1	300X250 पिक्सल (pixels)		45
2	728x90 पिक्सल (pixels)		55
3	वीडियो ऐड्स/5 से0 (Video ads/ 5 Sec)		0.8
समूह-ग			
1	300X250 पिक्सल (pixels)		26
2	728x90 पिक्सल (pixels)		26
3	वीडियो ऐड्स/5 से0 (Video ads/ 5 Sec)		0.8
समूह-घ			
1	300X250 पिक्सल (pixels)		24
2	728x90 पिक्सल (pixels)		24

		भाग			
	2	468 x60	उर्ध्व भाग	11.5	
			अधो भाग	9.2	
			पार्श्व भाग	11.5	
	3	300 x 250	उर्ध्व भाग	23	
			अधो भाग	23	
			पार्श्व भाग	23	
	4	234 x60	उर्ध्व भाग	9.2	
			अधो भाग	x	
			पार्श्व भाग	x	
	नव सृजित श्रेणी समूह 'घ' व 'ड' में सूचीबद्ध किए जाने वाली वेबसाइट्स के लिए सी.पी.टी.आई के आधार पर दर निर्धारण का प्रस्ताव है।)				
					3
					वीडियो ऐड्स/5 सेो (Video ads/ 5 Sec)
					0.7
	समूह-ड				
	1	300X 250 पिक्सल (pixels)			22
	2	728x 90 पिक्सल (pixels)			22
	3	वीडियो ऐड्स/5 सेो (Video ads/ 5 Sec)			0.6
2.16	वेब माध्यमों को जिस विभाग का विज्ञापन प्रकाशित होगा उस विभाग को उक्त डिजिटल विज्ञापन की एक साफ्ट कापी डीवीडी या सीडी के रूप में तथा पांच हार्ड कापी इस प्रकार भेजना अनिवार्य होगा कि प्रत्येक पृष्ठ पर प्रकाशित विज्ञापन का सक्रिय एवं उपलब्ध वेब एड्रेस भी साफ साफ मुद्रित दिखे। विभाग को भेजे गये उक्त पत्र की रसीद बीजक के साथ प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।				यथावत
2.17	संस्था को भुगतान निम्नलिखित तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त ही किया जायेगा।				यथावत
2.18 (क)	प्रकाशित वेब विज्ञापन कंटेंट सुव्यवस्थित तथा हार्ड				यथावत

	डेफिनेशन डिजीटल गुणवत्ता सहित होगी।	
2.18 (ख)	वेब माध्यम के कान्टेक्ट/अबाउट अस विवरण में स्वत्वाधिकारी, वेबमास्टर, मोडरेटर, एडिटर, का नाम, संपर्क तथा स्थानीय पता आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।	यथावत
2.18 (ग)	पोर्टल/साइट पर वेब सम्पादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए, जो प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अधीन जिम्मेदार होंगे।	वेबसाइट पर वेब सम्पादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए, जो प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अधीन जिम्मेदार होंगे।
2.18 (घ)	वेब विज्ञापन जिस दिवस के लिए निर्गत किया गया है, उसी दिवस अपलोड किये जाने का प्रमाण संस्थान द्वारा साफ्ट तथा हार्ड कापी के रूप में सूचना निदेशक को उसी कार्य दिवस में स्वयं संस्थान द्वारा अपने व्यय पर उपलब्ध कराया जाएगा।	यथावत
2.19	वेब विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 माह के अन्दर संस्था द्वारा भुगतान हेतु बीजक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	यथावत
2.20	वेब विज्ञापनों का भुगतान भी विभागीय बजट में धन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आगत के अनुक्रमानुसार किया जायेगा।	यथावत
2.21	विज्ञापन हेतु गैर सरकारी वेबसाइट/पोर्टल मान्य होगी। सरकारी वेबसाइटों/पोर्टलों पर विज्ञापन हेतु इन दरों पर विज्ञापन दिया जा सकता है।	विज्ञापन हेतु गैर सरकारी वेबसाइट मान्य होगी। सरकारी वेबसाइटों पर विज्ञापन हेतु इन दरों पर विज्ञापन दिया जा सकता है।
2.22	विज्ञापन के लिए संबंधित वेब मीडिया की ब्लैकलिस्टिंग: विभाग द्वारा सूचीबद्ध वेब	यथावत

	माध्यमों को निम्नलिखित कारणों के आधार पर भविष्य में कोई भी विज्ञापन न देने हेतु ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।	
2.23 (क)	सम्बन्धित वेब मीडिया की न्यूनतम हिट्स या सशुल्क ग्राहकी विवरण विभागीय जांच द्वारा गलत प्रमाणित होने पर।	यथावत
2.23 (ख)	सम्बन्धित वेब मीडिया के स्वामी/मुद्रक/ प्रकाशक/ सम्पादक के अनैतिक देशद्रोही, आतंकवादी एवं समाज विरोधी अपराध (मारल टर्पीट्यूड) का दोषी सिद्ध किए जाने पर।	यथावत
2.23 (ग)	सम्बन्धित वेब मीडिया के संबंध में यह प्रमाणित होने पर कि उसने गलत तथ्य प्रस्तुत करके कोई भी विज्ञापन प्राप्त किया है।	यथावत
2.23 (घ)	संबंधित वेब माध्यम की साईट/पोर्टल बंद होने, उसका डोमेन रद्द होने या नवीनीकरण ना होने अथवा सर्वर लगातार दो दिन तक डाउन रहने अथवा प्रतिदिन 90 प्रतिशत से अधिक सर्वर बंद रहने पर भी वेब मीडिया को निष्क्रिय माना जाएगा।	संबंधित वेब माध्यम की वेबसाईट बंद होने, उसका डोमेन रद्द होने या नवीनीकरण ना होने अथवा सर्वर लगातार दो दिन तक डाउन रहने अथवा प्रतिदिन 90 प्रतिशत से अधिक सर्वर बंद रहने पर भी वेब मीडिया को निष्क्रिय माना जाएगा।
2.24	उपरोक्त वर्णित तथ्य/ कारण संज्ञान में आने पर निदेशक, सूचना द्वारा जांच करायी जाएगी तथा जांच में तथ्यों की पुष्टि होने पर संबंधित वेब माध्यम के स्वत्वाधिकारी/ प्रकाशक/ मुद्रक अथवा सम्पादक को नोटिस देते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके उस पर विचार करते हुए ब्लैक लिस्टिंग के आदेश पारित किये जायेंगे।	यथावत
3	सूचीबद्धता:- वेब माध्यमों की	यथावत

	सूचीबद्धता के लिए मापदण्ड की प्रक्रिया, वेबसाइट के कम से कम एक साल तक निरंतर सक्रियता के उपरान्त ही, आरम्भ की जायेगी।	
3.1	इस सूचीबद्धता हेतु संबंधित संस्थान को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, जिसके साथ संबंधित वेब माध्यम के पंजीयन, सशुल्क ग्राहकी तथा हिट्स आदि का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।	यथावत
3.2	वेब विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता वेब मीडिया को हिट्स तथा सशुल्की ग्राहकी के आधार पर उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय, राज्य अथवा स्थानीय वेब मीडिया श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाएगा।	यथावत
3.3	सूचीबद्धता हेतु वेब मीडिया की श्रेणियाँ संस्था के टर्न ओवर के आधार पर निर्धारित ना होकर वेबसाइट के हिट्स अर्थात् लोकप्रियता की कसौटी के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस संबंध में यह प्रतिबन्ध रहेगा कि यदि किसी पोर्टल या वेबसाइट को डीएवीपी में सूचीबद्धता प्राप्त है तो उसे सीधे ही उसी श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा जब तक कि उसके मासिक हिट्स की संख्या के आधार पर नया मूल्यांकन ना किया जाए।	सूचीबद्धता हेतु वेब मीडिया की श्रेणियाँ संस्था के टर्न ओवर के आधार पर निर्धारित ना होकर वेबसाइट के हिट्स अर्थात् लोकप्रियता की कसौटी के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस संबंध में यह प्रतिबन्ध रहेगा कि यदि किसी वेबसाइट को डीएवीपी में सूचीबद्धता प्राप्त है तो उसे सीधे ही उसी श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा जब तक कि उसके मासिक हिट्स की संख्या के आधार पर नया मूल्यांकन ना किया जाए।
3.4		1. सूचना विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता के लिए किसी भी वेबसाइट का वैप आधारित [कॉम्पैटिबिलिटी ऑन मोबाइल फोन्स, पॉमटॉप्स, टैब्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स (पीडीए) आदि] होना आवश्यक है, जो वेबसाइट्स

	<p>मोबाइल फोन पर उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें विज्ञापन हेतु सूचना विभाग में सूचीबद्धता के लिए प्राथमिकता प्रदान नहीं की जायेगी।</p> <p>2. सूचना विभाग डीएवीपी सूची के अतिरिक्त उन्हीं वेबसाइट्स को विज्ञापन प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वरीयता प्रदान करेगा, जिनके ऑनर संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं संचालन उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के अंदर हो।</p>
4	<p>विज्ञापन पाने हेतु अर्ह वेब साइटों की संख्या में वृद्धि की संभावना एवं अधिकतम एक पृष्ठ के विज्ञापन दिये जाने की सीमा हटाने से विज्ञापित पृष्ठों में होने वाली संभावित वृद्धि को देखते हुए निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करेगे कि इससे वित्तीय व्यय भार में वृद्धि न हो तथा विज्ञापनों पर होने वाला कुल व्यय वार्षिक बजट की सीमा में रहे।</p>

नोट:-1

उपरोक्त वेबसाइट्स पर प्रतिदिन पहुँचने वालों (हिट्स) की गणना प्रतिष्ठित डेटा टूल्स (गूगल एनालिटिक्स और कॉमस्टोर आदि) द्वारा यूनिक यूजर को आधार मानकर की जाएगी। साथ ही भारत सरकार की विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत नियमावलियों एवं संशोधनों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

नोट:-2

वेब मीडिया नीति अनुसार सूचना विभाग में विज्ञापन हेतु वेबसाइट के लिए जहां-जहां रजिस्ट्रेशन शब्द आया है उसे अब 'सूचीबद्ध' पढ़ा जाएगा।

3- उ0प्र0 वेब मीडिया नीति-2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:- 03 / 2020 / 151(1) / उन्नीस-2-2020-22 / 2015 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ०प्र० शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० शासन।
4. वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुभाग-7।
5. आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2।
6. न्याय अनुभाग-6।
7. उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. सूचना अनुभाग-1 एवं 2।
9. गोपन अनुभाग-1।
- 10.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव